अध्याय VII: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

7.1 आवासीय प्रयोजन के लिए खपत की गई विद्युत पर अतिरिक्त खर्च

राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, दिल्ली ने 2013-18 के दौरान आवासीय क्वार्टरों में विद्युत के मीटरों की स्थापना न होने के कारण एक गैर-घरेलू उच्च तनाव कनेक्शन से घरेलू उपयोग हेतु विद्युत का उपयोग किया तथा उर्जा प्रभार के लिए ₹3.66 करोड़ का अतिरिक्त खर्च किया।

राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, दिल्ली (एन.जेड.पी.) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.) के अंतर्गत काम करता है। एन.जेड़.पी. के कार्यालय भवनों, बीट्स तथा आवासीय भवनों के लिए विद्युत की आपूर्ति बी.एस.ई.एस. राजधानी पावर लिमिटेड (बी.एस.ई.एस.) के गैर-घरेलू उच्च तनाव (एच.टी.) विद्युत कनेक्शन के माध्यम से 238 किलोवाट के स्वीकृत भार के साथ पूरी की जाती है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी.) के आंकलन (जनवरी 2010) के मुताबिक, इसमें 57[1] आवासीय क्वार्टरों के लिए 224 किलोवाट का स्थापित भार भी शामिल था।

एन.जेड.पी. ने बी.एस.ई.एस से उसके आवासीय क्वार्टरों के लिए पृथक विद्युत कनेक्शनों के लिए आग्रह (मई 2010) किया था। बी.एस.ई.एस. ने एन.जेड.पी. को कहा (अक्टूबर 2010) कि इस उद्देश्य के लिए एक विद्युत उप-स्टेशन स्थापित किया जाएगा और इसी से संबंधित एक खाका योजना की भी मांग की। स्थान विनिर्देश को लेकर एन.जेड.पी. और बी.एस.ई.एस. के बीच हुए निरंतर पत्राचार के बाद, एन.जेड.पी. ने बी.एस.ई.एस. को प्रस्तावित उप-स्टेशन की स्थापना के लिए एक मानचित्र भेजा (जून 2016)। उत्तर में, बी.एस.ई.एस. ने एन.जेड.पी. को सूचित किया कि एन.जेड.पी. से बी.एस.ई.एस. द्वारा निर्दिष्ट (मई 2016) कुछ शर्तों[2] को पूरा करने की पुष्टि करने वाले एक उपक्रम प्राप्त होने के बाद ही उप-स्टेशन पर काम शुरू किया जा सकेगा। एन.जेड.पी. ने ऐसा कोई उपक्रम नहीं दिया, बल्कि बी.एस.ई.एस. से कार्य के लिए लागत अनुमान मांगा (अगस्त 2016)। बी.एस.ई.एस. ने एन.जेड.पी. को स्पष्ट किया

---

1 टाईप I- 46 क्वार्टर, टाईप-II -चार क्वार्टर, टाईप III- चार क्वार्टर, टाईप IV- दो क्वार्टर तथा टाईप V- एक क्वार्टर

2 (i) उप-स्टेशन भूखंड के कम से कम दो तरफ 4 मी. चौड़ाई की एक मोटर योग्य सड़क होनी चाहिए और (ii) उस भूखंड से कोई तार/नलिकाएं/पाईप या कोई अन्य उपयोगिता नहीं गुजरनी चाहिए।

(सितंबर 2016) कि लागत अनुमानों को तब तक तैयार नहीं किया जा सकता जब तक कि उप-स्टेशन के लिए स्थान की पुष्टि नहीं की जाती। फिर भी, एन.जेड.पी. ने बी.एस.ई.एस. के साथ लगातार लागत अनुमान के मामले को जारी रखा और मुद्दा पत्राचार के अधीन रहा। अप्रैल 2019 तक, विद्युत उप-स्टेशन की स्थापना का काम शुरू नहीं हुआ था।

इस दौरान, बी.एस.ई.एस. ने (2013-14 से) एन.जेड.पी. के कार्यालय भवनों तथा आवासीय क्वार्टरों सहित कुल उर्जा खपत पर समग्र विद्युत बिल उठाया, जिसका भुगतान एन.जेड.पी. द्वारा किया गया। इसके बदले में, एन.जेड.पी. ने, विभिन्न प्रकार के क्वार्टरों में घरेलू उपयोग के लिए एन.जेड.पी. द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार, अपने कर्मचारियों से उनके आवासीय उपभोग के लिए उर्जा शुल्क वसूला। इन दरों की सीमा विभिन्न प्रकार के क्वार्टरों के लिए ₹ 600 से ₹1,500 प्रति माह (2013-14), ₹720 से ₹1,800 प्रति माह (2014-15), ₹900 से ₹2,250 प्रति माह (2015-16) और ₹1,080 से ₹ 2700 प्रति माह (2016-17 व 2017-18) थी। 2013-14 से 2017-18 तक की अवधि के दौरान, एन.जेड.पी. के कर्मचारियों द्वारा 34[3] आवासीय क्वार्टरों को अधिकृत किया गया। एन.जेड.पी. ने बी.एस.ई.एस. को कार्यालय एवं आवासीय क्वार्टरों के विद्युत प्रभार के लिए ₹6.18 करोड का भुगतान किया तथा अपने कर्मचारियों से ₹1.99 लाख की वसूली की।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एन.जेड.पी. ने प्रथम दृष्टया सी.पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से आवासीय क्वार्टरों में मीटर स्थापित न करके अपनी आधिकारिक सुविधाओं तथा आवासीय भवनों की विद्युत आवश्यकताओं को अलग नहीं किया। इसके अलावा, एन.जेड.पी. ने बी.एस.ई.एस. द्वारा बताई गई शर्तों को पूरा नहीं करके आवासीय क्षेत्रों के लिए अलग विद्युत मीटरों को लगाने के मामले को लगभग नौ वर्षों तक लंबा खींचा। आवासीय क्वार्टरों में विद्युत की वास्तविक खपत दर्ज करने तथा वास्तविक रिडिंग के आधार पर कर्मचारियों से शुल्क वसूलने के लिए विद्युत मीटर नहीं लगाए गए थे। परिणामस्वरूप, बी.एस.ई.एस. को गैर-घरेलू एच.टी. आपूर्ति से घरेलू उपयोग के लिए ली गई विद्युत हेतु किए गए भुगतान तथा ऐसे उपभोग के लिए कर्मचारियों से वसूली गई राशि में व्यापक अंतर था। 2013-18 के दौरान अधिकृत 34 आवासीय क्वार्टरों के लिए, 238 किलोवाट के कुल स्वीकृत भार के अनुपात में 142

---

[3] कुल 35 क्वार्टरों को अधिकृत किया गया था, हालांकि, टाईप-बी के एक क्वार्टर को गणनाओं में शामिल नहीं किया गया क्योंकि उसे बताए गए समय के दौरान कुछ समय के लिए ही अधिकृत किया गया था।

किलोवाट के निर्धारित भार (59.5 प्रतिशत) जिसके लिए बी.एस.ई.एस. को बिलों का भुगतान किया गया था, को ध्यान में रखते हुए, 34 आवासीय क्वार्टर में बिजली की खपत के अनुरूप, व्यय ₹3.68 करोड़[4] है। हालांकि, एन.जेड.पी. ने इस अवधि के लिए अपने कर्मचारियों से केवल ₹1.99 लाख की वसूली की जिसके कारण ₹3.66 करोड़ की अतिरिक्त राशि खर्च हुई।

इस प्रकार, एन.जेड.पी. की आधिकारिक और घरेलू उर्जा आवश्यकताओं को अलग करने तथा घरेलू उपयोग हेतु अलग मीटरों की स्थापना के लिए शर्तों को पूरा कर पाने में विफलता के कारण 2013-18 के दौरान आवासीय उपयोग के लिए खपत, परंतु गैर-घरेलू एच.टी. कनेक्शन से ली गई विद्युत के लिए ₹3.66 करोड़ का अतिरिक्त खर्च किया गया।

एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. ने बताया (जुलाई 2019) कि एन.जेड.पी. के निवासियों के लिए विद्युत मीटरों की स्थापना का मामला बी.एस.ई.एस. के साथ चल रहा था। एन.जेड.पी. ने बताया (सितंबर 2019) कि मीटरों की स्थापना की आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि उप-स्टेशन की स्थापना के लिए चिन्हित स्थान को अभी तक बी.एस.ई.एस. को सौंपा जाना बाकी था तथा अपेक्षित उपक्रम भी बी.एस.ई.एस. को उपलब्ध कराया जाना बाकी था।

[4] ₹6.18 करोड़ के कुल विद्युत प्रभार का 59.5 प्रतिशत